मु0न0:–137 / 2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

दिनांकः– 31.10.2022

मु0न0 137 / 2022

पीठासीन अधिकारीः– सुनीता मीना आर.ए.एस

उनवान

रामनिवास पुत्र घन्टोली जाति मीना निवासी मेरेडा तहसील टोडाभीम।

(सायलान)

बनाम

1. जगदीश पुत्र रामफूल
2. बोदीलाल पुत्र जगदीश
3. माया देवी पत्नि बोदीलाल

जातियान मीना निवासीयान मेरेडा तहसील टोडाभीम।

(गैरसायलान)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट सायलान

निर्णय दिनांक 30.08.2024

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मेरेडा की आराजी ख0न0 206 / 0.25, 207 / 0.58, 254 / 0.41, 255 / 0.22, 257 / 0.23, 258 / 0.23, 259 / 0.15, 260 / 0.19, 265 / 0.36, 266 / 0.41 कुल किता 10 कुल रकवा 3.03 है0 मे सायल 1 / 16 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। तथा बकिया हिस्से के अन्य सहखातेदार काश्तकार दर्ज है।

यह है कि वर्णित आराजीयात मे सायल व अन्य खातेदारान ने मौके पर बहामी बटवारा कर रखा है। मुताबिक बहामी बटवारा सायल के हिस्से मे ख0न0 206 / 0.25 मे से 0.18 है0 भूमि वादी हिस्से व कब्जे मे आई है। और सायल ख0न0 206 के रकवा 0.18 है0 पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है, जिसका मौके पर 0.18 है0 का अलग खेत बना हुआ है जिससे गैरसायलान का किसी प्रकार का कोई संबध नही है। गैरसायलान लठैत व गिरोह बंद व्यक्ति है जो आये दिन गरीब लोगो की आराजी पर कब्जा करते रहते है जबकि गैरसायलान को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है। यदि गैरसायलान अपनी इस गैरकानूनी कुचेष्ठा मे कामयाब हो गये तो सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी।

बॉका दिनांक 19.10.2022 को सायल अपनी हिस्से की आराजी ख0न0 206 / 0.18 है0 पर अगली फसल की बुवाई हेतु साफ सफाई कर रहा था कि गैरसायल ने सायल से कहा कि तू इस आराजी पर आना छोड दे। हमारे लट्ठ मे ताकत है इसलिये इस भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर काश्त करेगे तथा तुझे इस आराजी पर काश्त नही करने देगे। तू चुपचाप यहा से चला जा सायल ने गैरसायल को काफी समझाया लेकिन वे नही माने इसलिये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है।

सायलान का प्राईमाफेसी केस बखूबी साबित है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का सिद्वान्त भी सायलान के पक्ष मे है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायल को कोई क्षति किसी प्रकार की नही है। जबकि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही होने से सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से संभव नही है।

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सायलान बखिलाफ गैरसायलान बावत अस्थाई ...षेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायल को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पाबन्द किया जावे कि ग्राम मरेडा की आराजी ख0न0 206/0.18 है0 मे सायल को बेदखल नही करे। सायल के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे। सायल को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल न0 1 ता 3 की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने जबाब काउन्टर क्लेम इस प्रकार पेश किया है कि सायल द्वारा प्रार्थना पत्र मे समस्त कथन एकदम गलत मनगढंत व कपोल कल्पित अंकित किये है सायल का ख0न0 206 के किसी भी हिस्से पर कब्जा नही है और नाही कभी काश्त की है और नाही आज काबिज है। सायल द्वारा समस्त फैक्टस को छुपाते हुये एकदम गलत तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत की है जो चलने योग्य नही है खारिज होने योग्य है। सायल का आराजी विवादग्रस्त ख0न0 206/0.18 है0 या किसी भी रकवे पर कोई कब्जा काश्त नही है तथा कब्जे के अभाव मे प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। खारिज होने योग्य है। आराजी ख0न0 206 रकवा 0.25 है0 जो पूर्व मे किरोडी पुत्र भौरया के कब्जे काश्त की आराजी थी गैरसायल न0 1 द्वारा किरोडी से बदला कर कब्जा प्राप्त किया है सायल द्वारा कब्जा करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नही है खारिज होने योग्य है। किरोडी फौत हो चुका है। उसके दो पुत्र मेधराम, जंगली हे। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई, सायल वकील की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी कुल किता 10 कुल रकवा 3.03 है0 मे सायल 1/16 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। तथा बकिया हिस्से के अन्य सहखातेदार काश्तकार दर्ज है, वर्णित आराजीयात मे सायल व अन्य खातेदारान ने मौके पर बहामी बटवारा कर रखा है। मुताबिक बहामी बटवारा सायल के हिस्से मे ख0न0 206/0.25 मे से 0.18 है0 भूमि वादी हिस्से व कब्जे मे आई है। और सायल ख0न0 206 के रकवा 0.18 है0 पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है, जिसका मौके पर 0.18 है0 का अलग खेत बना हुआ है जिससे गैरसायलान का किसी प्रकार का कोई संबध नही है। गैरसायलान लठैत व गिरोह बंद व्यक्ति है जो आये दिन गरीब लोगो की आराजी पर कब्जा करते रहते है जबकि गैरसायलान को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है। यदि गैरसायलान अपनी इस गैरकानूनी कुचेष्ठा मे कामयाब हो गये तो सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी। अतः गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पाबन्द किया जावे कि ग्राम मरेडा की आराजी ख0न0 206/0.18 है0 मे सायल को बेदखल नही करे। सायल के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे। सायल को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे।

गैरसायलान वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि सायल द्वारा प्रार्थना पत्र मे समस्त कथन एकदम गलत मनगढंत व कपोल कल्पित अंकित किये है सायल का ख0न0 206 के किसी भी हिस्से पर कब्जा नही है और नाही कभी काश्त की है और नाही आज काबिज है। सायल द्वारा समस्त फैक्टस को छुपाते हुये एकदम गलत तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत की है जो चलने योग्य नही है खारिज होने योग्य है। सायल का आराजी विवादग्रस्त ख0न0 206/0.18 है0 या किसी भी रकवे पर कोई कब्जा काश्त नही है तथा कब्जे के अभाव मे प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। खारिज होने योग्य है। आराजी ख0न0 206 रकवा 0.25 है0 जो पूर्व मे किरोडी पुत्र भौरया के कब्जे काश्त की आराजी थी गैरसायल न0 1 द्वारा किरोडी से बदला कर कब्जा प्राप्त किया है सायल द्वारा कब्जा करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नही है खारिज होने योग्य है। किरोडी फौत हो चुका है। उसके दो पुत्र मेधराम, जंगली है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

विद्वान वकीलो की बहस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया ना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए विचारणीय न्यायालय को तीन बिन्दुओ किया जाना होता है।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरणः—** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी पत्रावली मे शामिल ग्राम मेरेडा की जमाबन्दी सम्वत 2076—79 के खाता न0 146 मे कुल किता 10 कुल रकवा 3.03 है0 मे सायल रामनिवास पुत्र घन्टोली हिस्सा 1/16 कर खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। बकिया हिस्से मे मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार अन्य सह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। लेकिन गैरसायलान दर्ज रिकार्ड नही है, सायल द्वारा आराजी ख0न0 206 रकवा 0.25 है0 मे से 0.18 है0 का अनुतोष चाहा गया है। गैरसायलान द्वारा पत्रावली मे काउन्टर क्लेम जबाब के अलावा अन्य ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया है जिससे गैरसायलान का विवादित आराजीयात से किसी प्रकार का संबध हो, सायल ने कुल रकवा 0.25 है0 मे से 0.18 है0 पर अनुतोष चाहे जाने तथा खातेदारी दर्ज होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण सायलान के पक्ष मे साबित है।
2. **सुविधा का संतुलनः—** पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण गैरसायलान के पक्ष मे साबित नही होने से सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष मे साबित है।
3. **अपूर्तनीय क्षतिः— प्रार्थना पत्र मे** वर्णित आराजीयात 206 रकवा 0.25 है0 मे से 0.18 है0 मे यदि गैरसायलान को पाबन्द नही किया जाता है तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है।

उक्त तीनो बिन्दु सायलान के पक्ष मे साबित होने से सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तथा गैरसायलान द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम खारिज योग्य होने से खारिज किया है।

अतः गैरसायलान को ता दावा फैसला पाबन्द किया जाता है कि ग्राम मेरेडा की आराजी ख0 न0 206 रकवा 0.25 है0 मे से 0.18 है0 मे सायलान के हिस्से की आराजी मे कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे, नाही किसी अन्य से करावे।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं सुनीता मीना सहायक कलक्टर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी